संं0-03/2024/648/52-2-2024-1(बजट)/2021

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण,

उत्तर प्रदेश शासन।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-2 **लखनऊ:दिनांक: 12 मार्च, 2024**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड को अनावर्तक अनुदान मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 5583/अ०स०क०नि०-13/लेखा/बजट-प्रा०/2023-24 दिनांक 26.02.2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या 48 के अन्तर्गत अनावर्तक अनुदान मद में प्रावधानित कुल धनराशि रु०100,90,000/ (रु० एक करोड़ नब्बे हजार मात्र) का उत्तर प्रदेश सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के अंश 60 प्रतिशत का 25 प्रतिशत प्रथम किश्त के रूप में 15.135 लाख (रुपये पन्द्रह लाख तेरह हजार पांच सौ मात्र) आवंटित किये जाने हेतु श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिवंधों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

1. उक्त धनराशि का हस्तान्तरण उत्तर प्रदेश सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड, लखनऊ को किया जायेगा।
2. कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि का केवल शासन द्वारा अनुमोदित कार्यों/प्रयोजनों के लिये ही व्यय किया जायेगा। किसी भी दशा में उक्त धनराशि पुराने दायित्वों व किसी अन्य मद में व्यय नहीं की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व तदनुसार स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय में मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. अवमुक्त धनराशि के व्यय के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र/व्यय विवरण सहित प्रगति आख्या मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड, लखनऊ द्वारा निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

उक्त वित्तीय स्वीकृति वित्त(आय-वययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/ बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 के प्रस्तर-2(6) के अन्तर्गत प्रदत्त प्रतिनिधानित शक्तियों के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)

उप सचिव।

संख्या:03/2024/648(1)/52-2-2024-01(बजट)/2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड, लखनऊ।
5. वित्त/लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/4
9. नियोजन अनुभाग-3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।